तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 64/2021 अनवान स्वरूपाराम बनाम रूघाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
25.7.22	**निर्णय** पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल श्रेणी में प्राप्त हुए है। आज बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। न्यायालय समय में अलग–अलग समय में आवाजे लगाने के बावजूद अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी संख्या 01 से 03 का जवाब बन्द करते हुए उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 40, 91, 188 व 207 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमे उसे सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा डाबलीसरा पटवार क्षेत्र चवा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 762/1 रकबा 16.09 बीघा, खसरा संख्या 767/1 रकबा 15.15 बीघा (वर्तमान खसरा संख्या 767/1 रकबा 08.04 बीघा व खसरा संख्या 806/1 रकबा 07.11) खसरा संख्या 774/3 रकबा 0.04 बीघा कुल रकबा 32.08 बीघा भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 01 के पोते व पुत्रवधु होने के नाते अप्रार्थी संख्या 01 से पुश्तेनी पैतृक भूमि में जन्म से अधिकार निहित हो जाता है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में दिनांक 20.09.2019 को बक्सीस कर दिया जबकि अप्रार्थी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा ही बंट में आता है। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने अप्रार्थी संख्या 01 पर अनुचित दबाब बनाकर अप्रार्थी संख्या 01 के हिस्से से अधिक भूमि पर अपने नाम हस्तान्तरण करवा ली तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 उसमे सफल होता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी एवं न्यायिक प्रकरणों की संख्या में भी अनावश्यक	

(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

वृद्धि होगी। लिहाजा प्रार्थीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक प्राप्त करने का अधिकारी है कि मौजा डाबलीसरा पटवार क्षेत्र चवा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 762 / 1 रकबा 16.09 बीघा, खसरा संख्या 767 / 1 रकबा 15.15 बीघा (वर्तमान खसरा संख्या 767 / 1 रकबा 08.04 बीघा व खसरा संख्या 806 / 1 रकबा 07.11) खसरा संख्या 774 / 3 रकबा 0.04 बीघा कुल रकबा 32.08 बीघा भूमि में प्राथीगण के कब्जे काश्त की भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का दखलन्दाजी नही करे तथा मौके व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात यथा खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी, नक्शा का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि है। पत्रावली के अवलोकन से एवं वकील प्रार्थीगण की बहस से यह ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर आमदा है। अतः उभय पक्षों को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा डाबलीसरा पटवार क्षेत्र चवा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 762 / 1 रकबा 16.09 बीघा, खसरा संख्या 767 / 1 रकबा 15.15 बीघा (वर्तमान खसरा संख्या 767 / 1 रकबा 08.04 बीघा व खसरा संख्या 806 / 1 रकबा 07.11) खसरा संख्या 774 / 3 रकबा 0.04 बीघा कुल रकबा 32.08 बीघा भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 से 03, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करें। मौके व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.7.22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) बाड़मेर